न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 38/2009 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

रामविलास पुत्र तुलाराम जाति जाटव निवासी ग्राम लंगोटपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रमेश पुत्र काशीराम जाति जाटव निवासी ग्राम लंगोटपुरा तहसील सैपऊ।
2. रामदास पुत्र काशीराम जाति जाटव निवासी ग्राम लंगोटपुरा तहसील सैपऊ.....फौत
   2/1. रामवती वेवा रामदास जाति जाटव निवासी ग्राम लंगोटपुरा तहसील सैपऊ।
   2/2. संजय पुत्र रामदास
   2/3. ममता } पुत्रियान रामदास
   2/4. पूजा }
   2/5. अजय पुत्र रामदास
   2/6. शिवानी पुत्री रामदास
   2/7. गौरव पुत्र रामदास
   अकवाम जाटव निवासीगण ग्राम लंगोटपुरा तहसील सैपऊ जिला जिला धौलपुर। नाबालिगान सरपरस्ती माता खुद रामवती पत्नी रामदास।
3. अशोक पुत्र काशीराम जाति कुशवाह निवासी लंगोटपुरा तहसील सैपऊ।
4. नर्मदा पुत्री काशीराम पत्नी किशन सिंह निवासी ग्राम तिधराकापुरा तहसील धौलपुर, हाल आबाद फिरोजपुर पोस्ट ओदी तहसील व जिला धौलपुर।
5. रेशो वेवा काशीराम जाति जाटव निवासी ग्राम लंगोटपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर.....फौत
6. सीयाराम पुत्र नन्दू जाति जाटव निवासी ग्राम रसीलपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा।
7. दुर्गा पुत्र किशना जाति जाटव निवासी ग्राम लंगोटपुरा तहसील सैपऊ हाल आबाद वगला का पुरा जिरोली धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर दि0 20.02.2009 प्र.सं. 109/2002 उनवानी रामविलास बनाम रमेश।

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार भार्गव वकील अपीलांट।
2. श्री किशन सिंह त्यागी वकील रेस्पोडेण्ट ।

निर्णय दिनांक–20.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज, बंटवारा काश्त व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात वाके ग्राम मानपुर तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार काशीराम,भजनलाल व अपीलाण्ट/वादी के पिता तुलाराम थे और मौके पर काबिज काश्त थे। भजनलाल की शादी नहीं हुई थी और वह लाबल्द बिला औरत फौत हो गये। जिस वक्त वक्त भजनलाल फौत हुये उस समय अपीलाण्ट/वादी एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पिता जिन्दा थे और भजनलाल के मरने के बाद काशीराम व तुलाराम बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज होकर वहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करने लगे। अपीलाण्ट /वादी के पिता के निधन के बाद, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया एवं नकले प्राप्त की तो पाया, कि विवादग्रस्त आराजी पर अकेले काशीराम का इन्द्राज है। अपीलांट/वादीगण ने रैस्पो0/प्रतिवादीगण से उक्त गलत इन्द्राजों को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः अपने हितो की रक्षार्थ अपीलाण्ट/वादी ने उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में दायर कर, दावा डिक्री किया जाकर अपीलाण्ट/वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर, रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य एवं मौखिक गवाहों से भली भॉत सिद्ध किया है कि लालाराम एवं झींगुरा एक ही व्यक्ति था एवं उसके तीन लडके तुलाराम, काशीराम एवं भजनलाल थे। अपीलाण्ट तुलाराम का पुत्र है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने झींगुरा व लालाराम को एक ही व्यक्ति ना माना जाकर अलग–अलग व्यक्ति मानने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त रैस्पो0 ने अपने जवाब दावें में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि विवादग्रस्त आराजी उनके पास कहॉ से आई, मात्र मौखिक कथन कि विवादग्रस्त आराजी उनकी स्वयं की आराजी है, माना नहीं जा सकता जब तक कि उसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जावें। विवादित आराजी के 1/2 भाग पर अपीलाण्ट का पूर्व से वर्तमान तक कब्जा काश्त है। अपने तर्को के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत मानपुर तहसील सैपऊ द्वारा शिजरा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर, दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही अपीलाण्ट को उक्त आराजी पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। अपीलाण्ट का पिता तुलाराम, लालाराम की संतान है एवं रैस्पो0 के पिता झींगुरा से पैदा है। विवादित आराजी झींगुरा की सम्पत्ति है लालाराम अलग व्यक्ति है। संवत 2017 में राजस्व रिकार्ड में लालाराम उर्फ झींगुरा का अंकन है, जो गलत है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का पूर्व से अथवा वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच कर, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समुचित विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित तीन तनकियॉ कायम की गई हैं एवं प्रत्येक तनकी की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तृत विवेचना की जाकर, ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलाण्ट/वादी का दावा खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने स्वयं अपने वादपत्र में अपने बाबा का नाम लालाराम अंकित किया हुआ है। अपीलाण्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई हैं, उनमें काशीराम वगै0 की बल्दीयत झींगुरा लिखी हुई है। उक्त दस्तावेजो से यह कतई साबित नहीं होता कि विवादित आराजी काशीराम, भजनलाल एवं तुलाराम पुत्रगण लालाराम की खातेदारी की रही हो। इसके अतिरिक्त दौराने बहस अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत द्वारा जारी शिजरा प्रमाण–पत्र, सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। अतः बिना सत्यापन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। उपरोक्त विवेचना अनुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2009 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर